



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-267987
CG-DL-E-27112025-267987

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5257]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947

No. 5257]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRAHAYANA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5435(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"4"	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 119, रारा सं. 219, रारा सं. 319ए, सं. 120, सं. 22 (पटना शहर में गांधी सेतु), सं. 122ए, सं. 122बी, सं. 322, सं. 124सी, सं. 227, सं. 227ए, सं. 227एफ, रारा सं. 327ए, रारा सं. 327एडी, सं. 527ए [रहिका (पोखरौनी) – मधुबनी – रामपट्टी खंड और बिदेश्वर स्थान – लौफा – पश्चिमी कोसी नदी बांध के निकट भेजा खंड तक को छोड़कर], सं. 527बी, सं. 527ई, सं. 727, सं. 727ए, सं. 727एए, सं. 727बी, सं. 131ए [किमी 34.578 से किमी 82.00 (नरेनपुर – पूर्णिया खंड) तक को छोड़कर], सं. 131बी, सं. 331, सं. 431, सं. 33 (अरवल – जहानाबाद – बिहार शरीफ खंड), सं. 133ई, सं. 333, सं. 333ए, सं. 333सी, सं. 139 [बिहार राज्य में प्रस्तावित हरिहरगंज बाइपास को छोड़कर] और सं. 139डब्ल्यू [(बकरपुर से अरेराज खंड) तक को छोड़कर] के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं।	बिहार राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच- 14013/24/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 4195(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5435(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"4"	So much of New National Highways No.119, No. 219, No. 319A, No. 120, No. 22 (Gandhi Setu in Patna city), No. 122A, No. 122B, No. 322, No 124C, No. 227, No. 227A, No. 227F, No. 327A, No. 327AD No. 527A [excluding from Rahika (Pokhrauni)- Madhubani- Rampatti section and from Bideshwar asthan- Laufa- Bheja near West Kosi River Bandh section], No. 527B, No. 527E, No. 727, No. 727A, No. 727AA, No. 727B, No. 131, No. 131A[excluding Km. 34.578 to Km. 82.000 (Narenpur-Purnea Section)], No 131B, No. 331, No.431, No. 33 (Arwal- Jehanabad- Bihar Sharif Section), No 133E, No. 333, No. 333A, No. 333C, No. 139 [excluding portion of proposed Hariharganj bypass in the state of Bihar] and No. 139W [(excluding from Bakarpur to Areraj section] as are situated within the State of Bihar.	State Government of Bihar."

[F. No. NH-14013/24/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4195 (E), dated the 16th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5436(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज/किमी में लंबाई
(1)	(2)	(3)
एनई-9	बिहार राज्य में मीरनगर अराजी (हाजीपुर) के निकट रारा-22 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नाहरपुर, हरलोचनपुर, बाजिदपुर, सरौंजा, रासना, परोरा, फतेहपुर को जोड़ने वाला और हंसदाह (पूर्णिया) के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण रारा बिहार राज्य में
रारा-22 (पुराना रारा-99)	झारखंड/बिहार सीमा – डोभी खंड (बिहार राज्य में)	11.40 किमी
रारा-27	बिहार राज्य में किशनगंज के अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर महियारपुर को जोड़ने वाला और बहादुरगंज के निकट रारा-327 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	23.65 किमी
रारा-327	बिहार राज्य में रारा-327 (प. बं./बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, रानीगंज, बहादुरगंज, अररिया, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल (बरियाही बाजार), बनगांव को जोड़ने वाला और महेशी (तारापीठ) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण रारा बिहार राज्य में
रारा-31 (पुराना रारा-81)	कोरहा – बिहार/पश्चिम बंगाल सीमा खंड (बिहार राज्य में)	55.40 किमी
रारा-133	दुलदुलिया के निकट रारा-33 का जंक्शन – बिहार/झारखंड सीमा खंड (बिहार राज्य में)	संपूर्ण रारा बिहार राज्य में

[फा. सं. एनएच- 14013/24/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5436(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage/ length in km
(1)	(2)	(3)
NE9	The expressway (Green Field) starting from its junction with NH-22 near Mirnagar Arazi (Hazipur) connecting Narharpur, Harlochanpur,	Entire NH in the state of Bihar

	Bazidpur, Saraunja, Rasna, Parora, Fatehpur and terminating at its junction with NH-27 near Hansadah (Purnia) in the State of Bihar.	
NH-22 (Old NH-99)	Jharkhand/Bihar border- Dobhi Section (In the State of Bihar)	11.40 km
NH-27	Spur starting from its junction near Kishanganj connecting Mahiyarrpur and terminating at its junction with NH-327 near Bhadurganj in the state of Bihar.	23.65 km
NH-327	The highway starting from Galgalia on N.H-327 (W.B/Bihar) Thakurganj, Raniganj, Bahadurganj, Araria, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supaul, (Bariyahi Bazar) Bangaon and terminating at Maheshi (Tarapeeth) in the State of Bihar.	Entire NH in the state of Bihar
NH-31 (Old NH-81)	Korha- Bihar/West Bengal border Section (In the State of Bihar)	55.40 km
NH-133	Junction of NH-33 near Duldulia-Bihar/Jharkhand border Section (In the State of Bihar)	Entire NH in the state of Bihar

[F. No. NH-14013/24/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5437(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5426(अ), दिनांकित 22 नवंबर, 2022 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा, अर्थात्:-

सरा-327 विस्तार	परसरमा – बनगांव – महिशी खंड (बिहार राज्य में)	29.60 किमी
--------------------	--	------------

[फा. सं. एनएच- 14013/24/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 5426(अ), दिनांकित 22 नवंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5437(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 5426 (E), dated the 22nd November, 2022, namely: -

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted: -

NH-327 Extension	Parsarma- Bangaon- Mahishi section (In the State of Bihar)	29.60 km
---------------------	---	----------

[F. No. NH-14013/24/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O 5426 (E), dated the 22nd November, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5438(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण सं. 1896, दिनांकित 28 मई, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2040(अ), दिनांकित 28 मई, 2021 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच- 14013/24/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5438(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2040(E), dated the 28th May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary No. 1896 dated 28th May, 2021, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/24/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director